भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3353

08 अगस्त 2025 को उत्तर के लिए

डीआरडीओ का योगदान

3353. श्री श्रीरंग अप्पा चंदु बरणे:

श्रीमती भारती परधी:

श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबलकर:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) तथा उससे संबद्ध प्रयोगशालाओं के सिविलियन प्रौद्योगिकीय उन्नति, वैज्ञानिक अनुसंधान और राष्ट्रीय नवाचार परिवेश महत्वपूर्ण योगदान का विवरण क्या है;

(ख) क्या सरकार वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए डीआरडीओ से निजी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) निजी उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स का विवरण, जिन्होंने रक्षा विनिर्माण के लिए डीआरडीओ-विकसित प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक अपनाया है; तथा

(घ) इन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से उत्पन्न अनुमानित आर्थिक मूल्य का विवरण और डीआरडीओ के प्रयासों के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निर्मित नौकरियों की संख्या?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) टीडीएफ योजना के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के तहत डीआरडीओ निजी उद्योगों विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप को एसएचक्यू/डीआरडीओ/डीडीपी की आवश्यकताओं के लिए रक्षा प्रौद्योगिकियों की सफल प्राप्ति के लिए दृढ़ हैंडहोल्डिंग, मेंटरशिप और डीआरडीओ के समर्थन के साथ प्रोटोटाइप स्तर तक अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों/ प्रणालियों/उप-प्रणालियों/घटकों के विकास के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है। वर्तमान में, टीडीएफ योजना के तहत विभिन्न उद्योगों को 343.90 करोड़ रुपये की कुल 81 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अब तक, 30 प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है।

इसके अलावा, डीआरडीओ द्वारा विकसित दोहरे उपयोग की स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकियों को उद्योगों में स्थानांतरित किया जाता है। अब तक, बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए दोहरे उपयोग (स्पिन ऑफ) प्रौद्योगिकियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (LATOT) के लिए 637 लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) डीआरडीओ भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण दस्तावेजों (TTD) और हैंडहोल्डिंग समर्थन के रूप में प्रासंगिक 'नो-हाउ' प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी को विकास सह उत्पादन भागीदार (DCPP)/विकास भागीदार (DP)/उत्पादन एजेंसी (PA) को बिना किसी टीओटी शुल्क के और अन्य उद्योगों को कुल परियोजना विकास लागत के @ 5% की दर से एकमुश्त टीओटी शुल्क के साथ स्थानांतरित किया जाता है। भारतीय सशस्त्र बलों और अन्य सरकारी विभागों को नेट सेल पर 'निल' रॉयल्टी ली जाती है। भारतीय वाणिज्यिक बाजार और निर्यात में बिक्री के लिए केवल 2% रॉयल्टी ली जाती है। अब तक, उद्योगों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (LATOT) के लिए 2100 से अधिक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2024 में ही, 256 LATOTs पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

डीआरडीओ ने डीआरडीओ प्रायोजित डीआईए-सीओई परियोजनाओं के लिए टीओटी को सक्षम किया है, जिसे संस्थानों द्वारा सीधे त्रिपक्षीय समझौते के रूप में दिया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा के लिए बनाया गया एक और मार्ग है।

(ग) अब तक, निजी उद्योगों (स्टार्टअप और एमएसएमई सहित) के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (LATOTS) के लिए 1918 लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

*****